पेपर – 8 : अप्रत्यक्ष कर कानून

प्रश्न

(1)	**सभी प्रश्नों का उत्तर 30.04.2018 तक संशोधित वस्तु तथा सेवा कर कानून के आधार पर तथा सीमा शुल्क कानून जैसा वित्त अधिनियम 2017 के द्वारा संशोधित तथा 30.04.2018 तक जारी अधिसूचना परिपत्र के आधार पर देना चाहिए।**
(2)	**विभिन्न प्रश्नों में वर्णित वस्तु तथा सेवा कर के लिए वस्तु तथा सेवा कर दर काल्पनिक है तथा (यह आवश्यक नहीं है कि इन वस्तुओं एवं सेवाओं पर वास्तविक कर लागू हो।) सीमा शुल्क की दर भी काल्पनिक है तथा आवश्यक नहीं कि यह वास्तविक दर हो। आगे, सभी प्रश्नों में जहां पर लागू हो वस्तु तथा सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर की अनदेखी करनी चाहिए ।**

1. 'All-in-One Store' भारत भर में लगभग सभी मेट्रो शहरों में उपस्थिति रखने वाले विभागीय स्टोर की एकं श्रृंखला है। दोनों विमुक्त तथा कर योग्य वस्तु को इस प्रकार के स्टोर में बेचा जाता है। स्टोर्ज किराया की सम्पत्ति में परिचालित है। All-in-One Stores नियमित योजना के अन्तर्गत वस्तु तथा सेवा कर का भुगतान करते हैं।

   मुंबई में, स्टोर एक किराया परिसर में परिचालित है, जिसका एक भाग को स्टोर के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत आवासी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

   All-in-One Store मुंबई अक्टूबर, 20XX के माह के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता है:

   (i) स्टोर में बेची जाने वाली विभिन्न मदों का योग मूल्य:

   कर योग्य मदे – ` 42,00,000

   एक अधिसूचना के जरिये विमुक्त मदें – ` 12,00,000

   मदें जिन पर वस्तु तथा सेवा कर नहीं लगता – ` 3,00,000

   (ii) मुंबई स्टोर गोवा में स्थित एक अन्य All-in-One Store को निःशुल्क नमूने का वितरण के उद्देश्य के लिए कुछ कर योग्य मदों का अंतरण करता है। इस प्रकार की मदों के लिए इवांयस में घोषित मूल्य ` 5,00,000 है। इस प्रकार की मदों को मुंबई स्टोर में ` 8,00,000 में बेचा जाता है।

   (iii) स्टोर में बेचे जाने के लिए प्राप्त विभिन्न मदों का योग मूल्य:

   कर योग्य मदें – ` 55,00,000

   एक अधिसूचना के जरिये विमुक्त मदें – ` 15,00,000

   मदें जिस पर वस्तु तथा सेवा कर नहीं लगता – ` 5,00,000

   (iv) कर योग्य मदों का आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु परिवहन एजेंसी को भुगतान किराया – ` 1,00,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

(v) विमुक्त मदों को आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु परिवहन एजेंसी को भुगतान किराया – ` 80,000

(vi) गैर कर योग्य मदों का आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु तथा परिवहन एजेंसी को भुगतान किराया - ` 20,000

(vii) परिसर के लिए भुगतानयोग्य मासिक किराया – ` 5,50,000 (व्यक्तिगत आवासीय उद्देश्य के उपयोग के लिए मूल स्थान का एक तिहाई स्थान उपलब्ध है)

(viii) बिक्री कीमत सहित स्टोर का लेबल लगाने तथा मदों की पैकिंग की गतिविधि को आउटसोर्स किया है। सभी मदों की पैकिंग के लिए भुगतान राशि - ` 2,50,000

(ix) स्टोर के नियमित कर्मचारी को भुगतान किया वेतन - ` 2,00,000

(x) व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयुक्त इनपुट पर भुगतान वस्तु तथा सेवा कर – ` 5,000

(xi) व्यापार उद्देश्य के लिए प्राप्त कार सेवा को किराया पर भुगतान वस्तु तथा सेवा कर – ` 4,000.

(xii) निःशुल्क नमूने के रूप में दी मदों पर भुगतान वस्तु तथा सेवा कर – ` 4,000

उपरोक्त उपलब्ध तथ्यों पर, आपको निम्न की गणना करनी है:

A. इलैक्ट्रोनिक क्रेडिट लेजर को क्रेडिट इनपुट कर क्रेडिट

B. सामान्य क्रेडिट

C. सामान्य क्रेडिट में से विमुक्त आपूर्ति की तरफ इनपुट कर क्रेडिट

D. सामान्य क्रेडिट में से पात्र इनपुट कर क्रेडिट

E. अक्टूबर, 20XX माह के लिए शुद्ध वस्तु तथा सेवा कर दायित्व

नोट:

(1) जहाँ पर लागू है, रिवर्स प्रभार के अन्तर्गत All-in-One Stores द्वारा 5% की दर से वस्तु तथा सेवा कर भुगतानयोग्य है। अन्य सभी मामलों में GST की दर 18% है।

(2) स्टोर द्वारा सभी बिक्री तथा क्रय को महाराष्ट्र के अंदर किया है सभी क्रय को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से किया जाना है। सभी अन्य व्यय भी राज्य के अंदर हैं।

(3) जहाँ पर लागू हो, दी गयी राशि करों से हटकर है।

(4) इनपुट कर क्रेडिट को प्राप्त करने की सभी शर्तों की अनुपालना की है।

2. XYZ Ltd., नई दिल्ली ब्रांड नाम 'Tastypicks' के अन्तर्गत बिस्कुट का निर्माण करती है। बिस्कुट को नई दिल्ली में स्थित कम्पनी के वेयरहाउस से FOR आधार पर भारत भर में स्थित थोक विक्रेता तथा वितरकों को आपूर्ति की जाती है। कम्पनी देश भर में फैले अपने ग्राहकों को बिस्कुट की आपूर्ति के लिए परिवहन के बहु साधन का उपयोग करती है। परिवहन लागत को इवांयस में लाइन मद के रूप में दिखाया जाता है तथा ग्राहकों को भुगतान भाड़ा (कर सहित) की कुल राशि का 2% मार्कअप के साथ बिल किया जाता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उत्पादन प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मैदा को एक्स फेक्टरी आधार पर मध्य प्रदेश में स्थित विक्रेता से प्राप्त किया जाता है। कम्पनी नई दिल्ली में स्थित अपने कारखाने तक विक्रेताओं की कारखाने से मैदा का परिवहन के लिए वस्तु तथा परिवहन एजेंसी को लिप्त करती है।

कम्पनी ने अप्रैल 20XX के माह में बिस्कुट तथा मैदा का परिवहन से संबंधित निम्न डाटा को प्रदान किया:

- राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र (` 20,00,000) के अंदर बिक्री, कम्पनी ने एक व्यक्ति से संबंधित एक स्थानीय मिनी वेन की व्यवस्था की तथा उसे ` 54,000 का भुगतान किया।
- दूरस्थ राज्यों में लोकेशन पर बिक्री (` 1,78,00,000) के लिए, कम्पनी ने इंडियन रेलवे द्वारा वस्तु को बुक किया तथा ` 3,17,000 का भुगतान किया।
- पड़ोसी राज्यों में लोकेशन में बिक्री (` 55,00,000) के लिए, कम्पनी ने रोड कैरियर द्वारा वस्तु को बुक किया तथा ` 3,73,000 का सड़क भाड़ा का भुगतान किया। पड़ोसी राज्यों को कुल बिक्री में से ` 10,00,000 का मूल्य की वस्तु को वस्तु परिवहन एजेंसी के जरिये बुक किया तथा 12% की दर से कर का भुगतान किया। इस प्रकार के वस्तु परिवहन एजेंसी को ` 73,000 का भाड़ा का भुगतान किया।
- मध्य प्रदेश से मैदा का क्रय (` 25,00,000) के लिए, कम्पनी ने वस्तुओं को वस्तु परिवहन एजेंसी द्वारा बुक किया तथा ` 55,000 का सड़क किराया का भुगतान किया।
- पंजाब से मक्खन के क्रय (` 15,00,000) के लिए, कम्पनी ने वस्तु परिवहन एजेंसी के द्वारा वस्तु को बुक किया तथा रूपये ` 35,000 का सड़क किराया का भुगतान किया।
- बेकिंग पाउडर का स्थानीय क्रय के लिए, कम्पनी ने एक एकल कैरियर में वस्तु परिवहन एजेंसी द्वारा वस्तु को बुक किया तथा ` 1,500 का सड़क किराया का भुगतान किया।
- राजस्थान में अपनी एक सहयोगी संस्था को बिस्कुट (` 4,00,000 - खुला बाजार मूल्य) का अंतरण करने के लिए, कम्पनी ने वस्तु परिवहन एजेंसी द्वारा वस्तु को बुक किया तथा ` 40,000 का सड़क भाड़ा का भुगतान किया।

(i) उपरोक्त दिये गये विवरण पर आधारित, XYZ Ltd. द्वारा परिवहन के लिए भुगतान राशि पर भुगतानयोग्य वस्तु तथा सेवा कर की गणना करें जब यह विभिन्न परिवहन कर्ता की सेवा प्राप्त करती है।

(ii) कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों को बिल परिवहन लागत पर वसूल वस्तु तथा सेवा कर की गणना करें।

नोट: - यह मान लें कि वस्तु के परिवहन तथा बिस्कुट पर वस्तु तथा सेवा कर की दर क्रमशः 5% तथा 12% [सिवाय जहां पर प्रश्न में कोई अन्य दर निर्दिष्ट है]

3. दिल्ली में पंजीकृत Rolex Forex Private Limited एक मनी चेंजर है। इसने विदेशी मुद्रा की निम्न क्रय तथा बिक्री की:

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) Rajesh Enterprises से ` 68 प्रति US $ की दर पर 1,000 US $ क्रय किये। उस दिन US $ के लिए भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ दर ` 68.60 थी।

(ii) Sriniti को ` 67.50 प्रति US$ की दर से 2,000 US $ बेचा। उस दिवस के लिए US $ के लिए भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ दर उपलब्ध नहीं थी:

(A) केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर (CGST) नियम 2017 का नियम 32(2)(a)

(B) केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर (CGST) नियम 2017 का नियम 32(2)(b)

के संदर्भ में उपरोक्त मामलों में से प्रत्येक में आपूर्ति का मूल्य का निर्धारण करें।

4. दिल्ली का एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता Jaskaran ने जनवरी, 20XX के माह में निम्न आपूर्ति की:

क्र.सं.	विवरण	राशि (`)
(i)	पंजाब में Sukhija Gift Shop को ` 30 प्रत्येक पर 20000 पैकेज की आपूर्ति [प्रत्येक पैकेज 2 चॉकलेट, 2 फल रस बोतल तथा एक खिलौना गुब्बारा पैकेट से मिलकर बना है]	6,00,000
(ii)	Morarji Banquet Halls, Chandigarh को किराये पर दिये 10 जनरेटर [जसकरण के वेयर हाउस से Morarji Banquet Halls तक जनरेटर की परिवहन की लागत (प्रत्येक जनरेटर के लिए ` 1,000)]	2,50,000
(iii)	दिवाली के अवसर पर 1 चॉकलेट तथा एक फल रस बोतल से मिलकर 500 पैकेज प्रत्येक को दिवाली का अवसर पर उपहार के रूप में दिया। [प्रत्येक पैकेज की लागत ` 12 है परन्तु इस प्रकार तथा गुणवत्ता की वस्तु तथा वस्तु का पैकेज का खुला बाजार कीमत उपलब्ध नहीं। पैकेज में समाहित मदों पर इनपुट कर क्रेडिट को नहीं लिया]	
(iv)	बड़े भाइ के दिल्ली में व्यापार उद्घाटन समारोह में निःशुल्क खान पान सेवा प्रदान की। [उक्त सेवा को प्रदान करने की लागत ` 55,000 है परन्तु इस प्रकार तथा गुणवत्ता की सेवा तथा सेवा को प्रदान करने का बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है]	

*वस्तु तथा सेवा कर को छोड़कर

आपको उक्त अवधि के लिए उसके द्वारा जमा निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना की सहायता के साथ जनवरी 20XX के माह के लिए जसकरण की वस्तु तथा सेवा कर दायित्व [केन्द्रीय वस्तु सेवा कर तथा राज्य वस्तु सेवा कर तथा/अथवा एकीकृत सेवा कर का निर्धारण करना है:

© The Institute of Chartered Accountants of India

1. 10 दिवस की देरी से प्राप्त भुगतान के लिए Sukhija Gift Shop से ` 10,000 का दंड संग्रहित किया।

2. जसकरण के वेयर हाउस से ग्राहक की परिसर तक जनरेटर का परिवहन को वस्तु परिवहन एजेंसी के जरिये प्रबंधित किया जिसने 12% की दर से कर का भुगतान किया।

3. मान लें वस्तु तथा सेवा कर की दर निम्न है

माल /सेवा प्रदान की गई	केंद्रीय वस्तु सेवा कर	राज्य वस्तु सेवा कर	एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर
चॉकलेट	9%	9%	18%
फल रस बोतल	6%	6%	12%
खिलौना गुब्बारा	2.5%	2.5%	5%
जनरेटर का किराया की सेवा	9%	9%	18%
खानपान सेवा	9%	9%	18%

5. (i) पूने महाराष्ट्र का पार्थ ने बरेली का बकुल को वस्तु की बिक्री करने का समझौता किया जब वस्तुओं को पार्थ का पूने का गोदाम में पैक किया जा रहा था, बकुल को उक्त वस्तु के लिए शिमोगा कर्नाटक का श्रेयस से एक आदेश प्राप्त हुआ। बकुल उक्त वस्तु को श्रेयस से एक आदेश प्राप्त हुआ। बकुल उक्त वस्तु को श्रेयस को आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ तथा पार्थ को उक्त वस्तु को शिमोगा का श्रेयस को सुपुर्द करने के लिए कहा।

   आपको उपरोक्त स्थिति में आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने के लिए कहा गया है।

   (ii) Damani Industries ने बैंगलोर में अपने नये उत्पाद को उतारने के लिए भव्य पार्टी के लिए गुजरात की एक इवेंट मैनेजमेंट कम्पनी Super Events Pvt. Ltd. को भर्ती किया। Damani Industries मुंबई में पंजीकृत है। Damani Industries को Super Events Pvt. Ltd. द्वारा प्रदान सेवा की आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करें।

   क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि उत्पाद को उतारने का समारोह दुबई में किया जाता है?

6. Oberoi Industries वस्तु तथा सेवा कर के अन्तर्गत पंजीकृत एक निर्माणी कम्पनी है। यह दो कर योग्य उत्पाद 'X' तथा 'Y' तथा एक कई विमुक्त उत्पाद 'Z' को निर्मित करती है। अप्रैल 20XX के माह में 'X', 'Y' तथा 'Z' की टर्नओवर ` 2,00,000, ` 10,00,000 रूपये ` 12,00,000 थी। Oberoi Industries के ग्रहण में कुछ मशीन हैं तथा उनमें से ज्यादातर का क्रय किया। सभी मशीनों के उपयोगी जीवन को 5 वर्ष के रूप में माना जाता है।

   इसके द्वारा दिये गये निम्न विवरण से, अप्रैल 20XX के माह के लिए विमुक्त आपूर्ति (यदि कोई है तो) की तरफ जुड़े सामान्य क्रेडिट की राशि तथा Oberoi Industries की इलैक्ट्रोनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की जाने वाली राशि की गणना करें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

विवरण	भुगतान वस्तु तथा सेवा कर (`)
गैर व्यापार उद्देश्य के लिए एकनिष्ट से उपयोग के लिए 01.04.20XX को क्रय मशीन 'A'	19,200
जीरो रेटिड आपूर्ति का निर्माण में एकनिष्ट रूप में उपयोग के लिए 01.04.20XX को क्रय मशीन 'B'	38,400
सभी तीन उत्पाद – X, Y तथा Z के निर्माण में प्रयुक्त 01.04.20XX को क्रय मशीन 'C'	96,000
उत्पाद Z के निर्माण में एक निष्ट रूप से उपयोग करने के लिए 01.04.20XX से पहले अप्रैल 1 को क्रय मशीन 'D' 1.04.20XX से ऐसे मशीन का उपयोग उत्पाद X और X के निर्माण के लिए भी किया जाएगा।	1,92,000
निर्माणी उत्पाद X तथा Y में एक निष्ट रूप से प्रयुक्त करने के लिए 01.04.20XX से 3 वर्ष पूर्व 1 अप्रैल को क्रय मशीन E 1.04.20XX से ऐसे मशीन का उपयोग उत्पाद Z के निर्माण के लिए भ्झी किया जाएगा।	2,88,000

7. एक बहुविशेषज्ञ अस्पताल Shiva Medical Centre मुंबई में एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता है। इसने वरिष्ठ डॉक्टर तथा सलाहकार को उनके साथ नियोक्ता कर्मचारी समझौता के बिना स्वतंत्र रूप से नियोजित किया। यह डॉक्टर्स तथा परामर्शदाता इन रोगियों के साथ किसी संविदा के बिना उपचार के लिए दाखिल रोगियों को परामर्श प्रदान करते हैं। इसके बदले, उन्हें Shiva Medical Centre के द्वारा परामर्श प्रभार का भुगतान किया जाता है।

   यद्यपि, Shiva Medical Centre द्वारा दाखिल रोगियों से किराया डॉक्टर्स तथा परामर्शदाता को भुगतान परामर्श प्रभार से अधिक वसूलते हैं। अस्पताल द्वारा रखा गया अंतर अर्थात् रोकी गयी राशि में सहायक सेवाओं के लिए प्रदान सेवा जैसे नर्सिंग सेवा, अधोसंरचना सुविधायें, अर्धचिकित्सा सहायता, आपात सेवा, तापमान, भार तथा ब्लड प्रेशन इत्यादि के प्रभार सम्मिलित हैं।

   आगे, Shiva Medical Centre की स्वयं की केंटीन – अन्नापूर्णा भवन है जो दाखिला रोगियों को भोजन आपूर्ति करता है जैसा डाक्टर/भोजन विशेषज्ञ द्वारा सलाह दी है, साथ में अन्य रोगियों (जिन्हें दाखिला नहीं दिया) अथवा उसके परिचारक अथवा आगुंतक हैं।

   विभाग का ठहराव है कि वरिष्ठ डाक्टर तथा परामर्शदाता Shiva Medical Centre को सेवा प्रदान कर रहे हैं तथा ना कि रोगियों को अतएव, उनकी सेवा स्वास्थय परिचर्या सेवा नहीं है तथा वस्तु तथा सेवा कर के तहत है। आगे, वस्तु तथा सेवा कर Shiva Medical Centre द्वारा रखी गयी राशि तथा अन्नापूर्णा द्वारा प्रदान सेवा या वस्तु तथा सेवा कर लागू है। यह आरोपित कर कि इस प्रकार की सेवा स्वास्थय परिचर्या सेवा नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

आपको परीक्षण करना है क्या विभाग द्वारा लिया गया मत सही है, बशर्ते Shiva Medical Centre द्वारा प्रदान सेवा अन्तः राज्य सेवा है।

8. Shubhlaxmi Food महाराष्ट्र में रेस्त्रां सेवा की आपूर्ति में लिप्त है। पहले के वित्तीय वर्ष में, इसकी रेस्त्रां सेवा से ` 90 लाख की टर्नओवर है तथा उक्त राज्य में कृषि श्रम की आपूर्ति से ` 10 लाख है। इसके अलावा, इसने स्थायी जमा से ` 10 लाख का बैंक ब्याज को अर्जित किया है।

   Shubhlaxmi Food वर्तमान वर्ष में सम्मिश्रत योजना को चुनने को चाहती है। आपको उस पर Shubhlaxmi Food को सलाह देनी है।

   क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि Shubhlaxmi Foods कृषि श्रम की आपूर्ति के स्थान पर जॉब वर्क आधार पर धान का चावल में मिलिंग के लिए लिप्त है तथा उक्त गतिविधि से टर्नओवर ` 9 लाख है?

9. Subharti Enterprises ने अपने ग्राहकों से इस विश्वास पर उन्हें आपूर्ति वस्तु पर वस्तु तथा सेवा कर को संग्रहित किया कि उक्त आपूर्ति कर योग्य है। यद्यपि बाद में यह पाया कि इसके द्वारा आपूर्ति वस्तु, वस्तु तथा सेवा कर से विमुक्त है।

   Subharti Enterprises के लेखांकक ने सलाह दी कि कर के रूप में Subharti Enterprises द्वारा गलती से संग्रहित राशि को सरकार के पास जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। Subharti Enterprises ने उस पर सलाह को देने के लिए अप्रोच किया। आपको प्रासंगिक प्रावधान की व्याख्या करते हुए सलाह देनी है।

10. निम्न प्रश्नों का उत्तर देवें:

    (1) राधास्वामी ने Manikaran Transporters द्वारा किराया एक वाहन में ` 30,00,000 की लागत की वस्तु द्वारा स्वामित्व तथा आपूर्ति की। उक्त वस्तु का बाजार मूल्य ` 40,00,000 है तथा उस पर वसूल से योग्य कर ` 4,80,000 है।

    राधास्वामी द्वारा आपूर्ति वस्तु तथा इस प्रकार की वस्तु का कैरिज के लिए प्रयुक्त वाहन [Manikaran Transporters के स्वामित्व में] को जब्त कर लिया है क्योंकि राधास्वामी ने कर का भुगतान से बचने के इरादा के साथ केंद्र वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 का प्रावधान का उल्लंघन में है।

    यद्यपि, उपयुक्त अधिकारी केंद्र वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 130 के अन्तर्गत लगने वाले जब्ती के स्थान पर राधास्वामी तथा Manikaran Transporters को जुर्माना भरने का एक विकल्प देना चाहता है:

    जब्त के बदले जुर्माना की अधिकतम राशि निर्धारित करे।

    (a) जब्ती के लिए दायी वस्तु

    (b) इस प्रकार की वस्तु की कैरिज के लिए प्रयुक्त वाहन

    (2) रघुरमन मध्य प्रदेश में पंजीकृत आपूर्तिकर्ता है। वह जनवरी 20XX के माह के लिए ` 7,400 की राशि का वस्तु तथा सेवा कर का भुगतान करने में विफल रहा। उपयुक्त अधिकारी ने कर के भुगतान में विफलता के लिए रघुरमन पर दंड को लगाया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

रघुरमन का विश्वास है कि यह एक छोटा भंग है तथा केंद्रीय वस्तु तथा बिक्री अधिनियम 2017 की धारा 126 के प्रावधान के अनुसार है, कर विनियमन का छोटा भंग के लिए कोई दंड नहीं लगेगा। रघुरमन के दावे का सही होने का परीक्षण करें

11. हरियाणा में पंजीकृत आपूर्तिकर्ता Super Engineering Works राज्य के अंदर कर योग्य वस्तु की आपूर्ति में लिप्त है। नीचे Super Engineering Works द्वारा निर्मित अंतिम उत्पाद पर लागू वस्तु तथा सेवा कर दर तथा टर्नओवर का विवरण तथा साथ में अंतिम उत्पाद में प्रत्येक का निर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट तथा कर अवधि के दौरान उस पर लागू वस्तु तथा सेवा कर दर है:

उत्पाद	टर्नओवर* (`)	आउटपुट वस्तु तथा सेवा कर दर	प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट (`)	इनपुट वस्तु तथा सेवा कर दर
A	500,000	5%	54,000	18%
B	350,000	5%	54,000	18%
C	100,000	18%	10,000	18%

* केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर को छोड़कर

गैर प्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट की वापिसी की अधिकतम राशि का निर्धारण करें जिसकी Super Engineering Works केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 54(3)(ii) के अन्तर्गत दावा के लिए पात्र है बशर्ते उत्पाद B एक अधिसूचित उत्पाद जिसके संबंध में उक्त धारा के अन्तर्गत गैर प्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट की वापिसी की आज्ञा नहीं होगी।

12. एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता जय लुधियाना पंजाब में एक जनरल स्टोर को चलाता हे। उसके द्वारा बेची जा रही कुछ वस्तु विमुक्त है जबकि कुछ कर योग्य है। आपको निम्न मुद्दो पर इस सलाह देने की आवश्यकता है:

    (i) क्या जय को सभी मामलों में कर इवांयस को जारी करना है चाहे यदि वह अंतिम उपभोक्ता को वस्तु बेच रहा है?

    (ii) जय एक विद्यालय के छात्र को ` 5,000 की मूल्य की कर योग्य तथा विमुक्त वस्तु को बेच रहा है। क्या उसके लिए अनिवार्य रूप से दो पृथक वस्तु तथा सेवा कर प्रपत्र को जारी करना आवश्यक है?

    (iii) जय जानना चाहता है कि क्या ग्राहकों को जारी कर इवांयस में कर राशि को पृथक रूप से दिखाना आवश्यक है। आपको उसे सलाह देने की आवश्यकता है।

13. Kulbhushan & Sons ने कुछ कर योग्य वस्तुओं की दो कर योग्य वस्तु की दो प्रेषण की आपूर्ति करने के लिए संविदा किया। यद्यपि क्योंकि इसके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने में असमर्थ है, इसने अपनी प्रार्थना के समर्थन में आवश्यक प्रपत्र सहित अंतरिम आधार पर इस प्रकार की वस्तु पर कर का भुगतान के लिए आवेदन करते हैं।

    12.01.20XX को केंद्रीय कर का सहायक आयुक्त ने मूल्य जिस आधार पर अंतरिम आधार

© The Institute of Chartered Accountants of India

पर निर्धारण का संकेत देते हुए अंतरिम आधार पर कर के भुगतान तथा राशि जिसके लिए बॉंड का निष्पादन करना है तथा प्रतिभूति की आज्ञा देते हुए एक आदेश को जारी किया।

Kulbhushan & Sons ने उसकी अनुपालना की तथा 25.01.20XX को वस्तु का दोनों प्रेषण की आपूर्ति की उसके बाद 19.02.20XX को दोनों प्रेषण के संबंध में अंतरिम आधार पर कर का भुगतान किया।

21.03.20XX को केंद्रीय कर का सहायक आयुक्त द्वारा पारित अंतिम कर निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप प्रथम प्रेषण पर ` 1,80,000 कर देय है जबकि द्वितीय प्रेषण पर ` 4,20,000 कर वापिसीयोग्य बन जाता है।

Kulbhushan & Sons 09.04.20XX को प्रथम प्रेषण पर देय कर का भुगतान करता है तथा उसी दिवस द्वितीय प्रेषण पर कर वापिसी के लिए आवेदन किया। उसे 05.06.20XX को वास्तव में कर वापिस किया।

उपरोक्त मामलों में Kulbhushan & Sons द्वारा भुगतानयोग्य तथा प्राप्त ब्याज का निर्धारण करें।

14. केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर की धारा 108 की संदर्भ में, व्याख्या करें क्या केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर/राज्य वस्तु तथा सेवा कर प्राधिकरण अपने अधीनस्थ द्वारा पारित आदेश को पुर्नरक्षित कर सकते हैं।

15. केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 87 के अन्तर्गत संविलयन/विलय के मामले में भुगतान के दायित्व की चर्चा करें।

16. Unicalp Textile Industries ने Eureka Engineering Works Inc., से एक मशीन को आयातित किया। मशीन की कीमत का US $ 25,000 पर निपटारा किया। मशीन को 10.02.20XX को शिप किया। इस दौरान Unicalp Textile Industries ने कीमत में कटौती के लिए सौदेबाजी की।

परिणामस्वरूप Eureka Engineering Works Inc. कीमत को US $ 4,250 से कम करने के लिए सहमत हुई तथा 15.02.20XX को $ 20,750 की पुर्नरक्षित कीमत का इवांयस भेजा। मशीन 18.02.20XX को भारत में पहुँची। सीमा शुल्क का आयुक्त ने इस आधार पर वस्तु का सौदा मूल्य को $ 25,000 की मूल कीमत पर लेने का निर्णय लिया इस आधार पर कि कीमत को केवल वस्तु की शिप होने के पश्चात् कम किया।

क्या आप आयुक्त द्वारा लिये गये स्टैंड से सहमत हैं? एक निर्णित मुकद्मा यदि कोई है तो की सहायता से अपने उत्तर के समर्थन में कारण दें।

17. Abhimanyu Enterprises, India ने एक जहाज के जरिये George Corp., US से US $ 17,000 की लागत की मशीन का आयात किया। नीचे दी गयी अतिरिक्त सूचना की सहायता से कस्टम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत उक्त मशीन का निर्धारणयोग्य मूल्य का निर्धारण करें:

		US $
(i)	शिपमेंट के लिए बंदरगाह तक George Corp. की कारखाना से परिवहन प्रभार	850

(ii)	अमेरिका से भारत में भाड़ा प्रभार	1,700
(iii)	जहाज में मशीन का लादान के लिए भुगतान किए गए हेंडलिंग प्रभार	85
(iv)	Abhimanyu Enterprises द्वारा भुगतान क्रय कमीशन	85
(v)	विचार किये जाने वाला विनिमय दर: 1$ = ` 60	
(vi)	वास्तविक बीमा प्रभार भुगतान ज्ञात नहीं है।	

18. Raghupati Energy Corporation ने कुछ वस्तुओं का आयात किया तथा उन्हें गृह उपभोग के लिए क्लीयर किया। बाद में, विभाग ने पाया कि इस प्रकार की वस्तु का आयात कस्टम अधिनियम 1962 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। परिणामतः वस्तु को कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 111 के अन्तर्गत जब्त किया तथा उक्त अधिनियम की धारा 112 के अन्तर्गत दंड को लगाया।

    निर्णित मुकद्मा यदि कोई है तो, की सहायता के साथ दिये गये मामला में विभाग द्वारा वस्तु की जब्ती की सत्यता तथा दंड का लगाने का परीक्षण करें।

19. कस्टम अधिनियम, 1962 के संदर्भ में निपटारा आयोग को आवेदन को भरने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों को स्पष्ट करें।

20. निर्दिष्ट परिस्थिति के अन्तर्गत सीमा शुल्क की वापिसी का उद्देश्य के लिए कस्टम अधिनियम 1962 की धारा 26A(2) में प्रदान प्रासंगिक तिथि को स्पष्ट करें; नामतः:

    (i) भारत से बाहर निर्यात वस्तु

    (ii) वस्तु का स्वःत्व को त्यागना

    (iii) नष्ट वस्तु अथवा वाणिज्यिक रूप से मूल्यहीन करना .

सुझाया उत्तर

1. A. <u>इलैक्ट्रोनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट इनपुट कर क्रेडिट की गणना</u>

केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर नियम 2017 के नियम 42 के अनुसार, आंशिक रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त तथा आंशिक रूप से अन्य उद्देश्य के लिए अथवा विमुक्त आपूर्ति को तथा कर योग्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त इनपुट अथवा इनपुट सेवा के संबंध में इनपुट कर क्रेडिट व्यापार के उद्देश्य अथवा कर योग्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए जुड़ा होगा।

पंजीकृत व्यक्ति ['C_1'] का इलैक्ट्रोनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट इनपुट कर क्रेडिट की गणना निम्न है-

$C_1 = T - (T_1+T_2+T_3)$

© The Institute of Chartered Accountants of India

जहां पर,

T	=	एक कर अवधि में इनपुट तथा इनपुट सेवा में लिप्त कुल इनपुट कर
T_1	=	गैर व्यापार उद्देश्य के लिए एक निष्ट रूप से प्रयुक्त एच्छिक इनपुट तथा इनपुट सेवा से जुड़ा इनपुट कर
T_2	=	विमुक्त आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए एक निष्ट रूप से एच्छिक इनपुट तथा इनपुट सेवा से जुड़ा इनपुट कर
T_3	=	इनपुट तथा इनपुट सेवा के संबध में इनपुट कर जिसका क्रेडिट केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 17(5) के अन्तर्गत ब्लॉक किया।

लिप्त कुल इनपुट कर की गणना [T]

विवरण	**(`)**
कर योग्य मदों पर भुगतान वस्तु तथा सेवा कर [` 55,00,000 x 18%]	9,90,000
एक अधिसूचना के जरिये विमुक्त मदें [क्योंकि विमुक्त किसी कर का भुगतान नहीं]	शून्य
मदें जिन पर कर नहीं लगेगा [क्योंकि कर योग्य नहीं, किसी वस्तु तथा सेवा कर का भुगतान नहीं]	शून्य
कर योग्य मदों का आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु परिवहन एजेंट का भुगतान भाड़ा पर उलटा प्रभार के अन्तर्गत भुगतान वस्तु तथा सेवा कर - [` 1,00,000 x 5%]	5,000
विमुक्त मदों का आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु परिवहन एजेंट को भुगतान भाड़ा पर उलटे प्रभार के अन्तर्गत भुगतान वस्तु तथा सेवा कर - [` 80,000 x 5%]	4,000
गैर कर योग्य मदों का आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु परिवहन एजेंट को भुगतान भाडा पर उलटा प्रभार के अन्तर्गत भुगतान वस्तु तथा सेवा कर - [` 20,000 x 5%]	1,000
मासिक किराया पर भुगतान किया गया वस्तु तथा सेवा कर - [` 5,50,000 x 18%]	99,000
पैकिंग प्रभार पर भुगतान किया गया वस्तु तथा सेवा कर [` 2,50,000 x 18%]	45,000
स्टोर पर कर्मचारियों को भुगतान किया गया वेतन [रोजगार के दौरान अथवा संबंध में नियोक्ता को कर्मचारी ,ारा सेवा केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की अनुसूची III का पैरा 1 के संदर्भ में आपूर्ति नहीं है तथा अतएव उस पर कोई वस्तु तथा सेवा कर भुगतानयोग्य नहीं है]	शून्य

© The Institute of Chartered Accountants of India

व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रयुक्त इनपुट पर वस्तु तथा सेवा कर का भुगतान	5,000
व्यापार उद्देश्य के लिए प्राप्त कार सेवा को किराया पर लेने के लिए वस्तु तथा सेवा कर का भुगतान	4,000
निःशुल्क नमूनों के रूप में दी गयी मदों पर वस्तु तथा सेवा कर का भुगतान	4,000
कर अवधि में लिप्त कुल इनपुट कर (अक्टूबर, 20XX) [T]	**11,57,000**

T_1, T_2, T_3 की गणना

विवरण	(`)
व्यक्ति उद्देश्य के लिए जुड़ा मासिक किराया पर भुगतान वस्तु तथा सेवा कर [` 99,000 का 1/3]	33,000
व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रयुक्त इनपुट पर भुगतान वस्तु तथा सेवा कर	5,000
गैर व्यापार उद्देश्य से एक निष्ट रूप से जुड़ा इनपुट कर [T_1]	**38,000**
विमुक्त मदों का आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु परिवहन एजेंट का भुगतान भाड़ा पर उलटा प्रभार के अन्तर्गत भुगतान वस्तु तथा सेवा कर [केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 2(47) के अनुसार विमुक्त आपूर्ति का अर्थ एक आपूर्ति है जो कि धारा 11 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के जरिये कर से विमुक्त है] अतएव विमुक्त मदों का आंतरिक परिवहन की इनपुट सेवा को एक निष्ट रूप से प्रयुक्त किया।]	4,000
गैर कर योग्य मदों का आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु परिवहन एजेंट को भुगतान भाड़ा पर उलटा प्रभार के अन्तर्गत भुगतान वस्तु तथा सेवा कर [विमुक्त आपूर्ति में केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 2(47) के संदर्भ में गैर कर योग्य आपूर्ति सम्मिलित है अतएव, गैर कर योग्य मदों का आंतरिक परिवहन की इनपुट सेवा को एक निष्ट रूप से विमुक्त आपूर्ति को प्रभावी करने के लिए प्रयुक्त किया है।]	1,000
विमुक्त आपूर्ति से एक निष्ट रूप से जुड़ा इनपुट कर [T_2]	**5,000**
व्यापार उद्देश्य के लिए प्राप्त किराया कार सेवा पर भुगतान वस्तु तथा सेवा कर [एक कार का किराया सेवा पर इनपुट कर, क्रेडिट को केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 17(5)(b)(iii) के अन्तर्गत ब्लॉक किया है क्योंकि उसे कर योग्य सम्मिश्रत अथवा मिश्रत आपूर्ति के भाग के रूप में किराया पर कार सेवा को प्रदान करने के लिए All-in-One Store द्वारा प्रयुक्त नहीं किया है यह माना गया है कि सरकार ने केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 17(5)(b)(iii)(A) के अन्तर्गत इस	4,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रकार की सेवा को अधिसूचित नहीं किया] निःशुल्क नमूना के रूप में दी गयी मदों पर भुगतान किया गया वस्तु तथा सेवा कर [निःशुल्क नमूने के जरिये निपटारा वस्तु पर इनपुट कर क्रेडिट को केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 17(5)(h) के अन्तर्गत ब्लॉक किया है]	 4,000
केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 17(5) के अन्तर्गत इनपुट कर जिस पर क्रेडिट को ब्लॉक किया है [T3] **	**8,000**

**क्योंकि व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रयुक्त इनपुट पर भुगतान वस्तु तथा सेवा कर पर T_1, की गणना करने पर विचार किया है उस पर T_3 की गणना में दोबारा विचार नहीं किया।

इलैक्ट्रोनिक क्रेडिट लेजर को क्रेडिट इनपुट कर क्रेडिट

$C_1 = T - (T_1+T_2+T_3)$

= ` 11,57,000 – (` 38,000 + ` 5,000 + ` 8,000)

= ` 11,06,000

B. सामान्य क्रेडिट की गणना

$C_2 = C_1 - T_4$

जहां पर C_2 = सामान्य क्रेडिट

T_4 = कर योग्य आपूर्ति को प्रभावी करने के लिए एक निष्ट रूप से एच्छिक इनपुट तथा इनपुट सेवा से जुड़ा इनपुट कर क्रेडिट

T_4 की गणना

विवरण	(`)
कर योग्य मदों पर वस्तु तथा सेवा कर का भूगतान	9,90,000
कर योग्य मदों का आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु परिवहन एजेंट को भुगतान भाड़ा पर उलटा प्रभार के अन्तर्गत वस्तु तथा सेवा कर का भुगतान	5,000
कर योग्य आपूर्ति से एक निष्ट रूप से जुड़ा इनपुट कर [T_4]	**9,95,000**

सामान्य क्रेडिट $C_2 = C_1 - T_4$

= ` 11,06,000 – ` 9,95,000

= ` 1,11,000

C. सामान्य क्रेडिट में से विमुक्त आपूर्ति की तरफ जुड़ा इनपुट कर क्रेडिट की गणना

विमुक्त आपूर्ति की तरफ जुड़ा इनपुट कर क्रेडिट 'D_1' से अंकित है तथा -

© The Institute of Chartered Accountants of India

$D_1 = (E \div F) \text{ x } C_2$

जहां पर,

'E' कर अवधि के दौरान विमुक्त आपूर्ति का योग मूल्य है, तथा

'F' कर अवधि के दौरान पंजीकृत व्यक्ति का राज्य में कुल टर्नओवर है।

अक्टूबर, 20XX के दौरान विमुक्त आपूर्ति का योग मूल्य

= ` 15,00,000 (` 12,00,000 + ` 3,00,000)

कर अवधि के दौरान राज्य में कुल टर्न ओवर

= ` 65,00,000 (` 42,00,000 + ` 12,00,000 + ` 3,00,000 + ` 8,00,000)

नोट: गोवा में स्थित मदों का अंतरण एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 7 के संदर्भ में अर्न्तराज्य आपूर्ति है तथा इसलिए कुल टर्नओवर में सम्मिलित होगी। इस प्रकार की आपूर्ति को केंद्रीय वस्तु का नियम 2017 के नियम 28 के अनुसार मूल्यांकन करवाना होगा। यद्यपि इवांयस में घोषित मूल्य को मूल्य के रूप में अपनाया नहीं जा सकता क्योंकि गोवा में प्राप्तकर्ता स्टोर पूर्ण क्रेडिट का हकदार नहीं है। इसलिए, इस प्रकार की वस्तु का खुले बाजार का मूल्य जो मुंबई स्टोर में बेची वस्तु का मूल्य को गोवा स्टोर में अंतरित मद के रूप में लिया जाता है।

$D_1 = (15,00,000 \div 65,00,000) \text{ x } 1,11,000$

= ` 25,615 (राउंड ऑफ)

D. <u>सामान्य क्रेडिट में से पात्र इनपुट कर क्रेडिट की गणना</u>

कर योग्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए जुड़ा इनपुट कर क्रेडिट को 'C_3' के रूप में अंकित किया है -

$C_3 = C_2 - D_1$

= ` 1,11,000 - ` 25,615

= ` 85,385

E. <u>अक्टूबर, 20XX के माह के लिए शुद्ध वस्तु तथा सेवा कर दायित्व की गणना</u>

विवरण	**वस्तु तथा सेवा कर (`)**
अग्रिम प्रभार के अन्तर्गत वस्तु तथा सेवा कर दायित्व	
स्टोर में बेची कर योग्य मदें [` 42,00,000 x 18%]	7,56,000
गोवा स्टोर की अंतरित कर योग्य वस्तु [` 8,00,000 x 18%]	1,44,000
अपात्र इनपुट कर, क्रेडिट [विमुक्त आपूर्ति से जुड़ा सामान्य क्रेडिट	25,615

© The Institute of Chartered Accountants of India

में से इनपुट कर क्रेडिट]	
अग्रिम प्रभार के अन्तर्गत कुल आउटपुट कर दायित्व	9,25,615
घटायें: इलैक्ट्रोनिक लेजर को क्रेडिट इनपुट कर क्रेडिट	11,06,000
अगले माह तक ले जाया गया इनपुट कर क्रेडिट	(1,80,385)
शुद्ध वस्तु तथा सेवा कर भुगतानयोग्य [A]	शून्य
उलटा प्रभार के अन्तर्गत वस्तु तथा सेवा कर दायित्व	
कर योग्य मदों का आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु परिवहन प्राधिकरण को भुगतान भाड़ा - [` 1,00,000 x 5%]	5,000
विमुक्त मदों का आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु परिवहन एजेंट को भुगतान भाड़ा- [` 80,000 x 5%]	4,000
गैर कर योग्य मदों का आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु परिवहन एजेंट को भुगतान भाड़ा - [` 20,000 x 5%]	1,000
उलटा प्रभार के अन्तर्गत कुल आउटपुट कर दायित्व [B]	10,000
शुद्ध वस्तु तथा सेवा कर दायित्व [A] + [B]	**10,000**
केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 49(4) के अनुसार, इलैक्ट्रोनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि को आउटपुट कर की तरफ भुगतान करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यद्यपि, केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 2(82) के संदर्भ में एक आउटपुट कर नहीं है। इसलिए उलटा प्रभार के अन्तर्गत भुगतानयोग्य कर को इनपुट कर क्रेडिट के विरूद्ध सेट ऑफ नहीं किया जा सकता तथा इसलिए नकद में भुगतान करना होगा।	

नोट: शुद्ध वस्तु तथा सेवा कर दायित्व की गणना करते हुए, इलैक्ट्रोनिक लेजर में क्रेडिट इनपुट कर क्रेडिट की वैकल्पिक रूप से गणना की जा सकती है:

विवरण	(`)
कर योग्य मदों पर भुगतान किया गया वस्तु तथा सेवा कर [` 55,00,000 x 18%]	9,90,000
एक अधिसूचना के जरिये विमुक्त मदें [क्योंकि विमुक्त, कोई वस्तु तथा सेवा कर का भुगतान नहीं]	शून्य
कर नहीं लगने वाली मदें [क्योंकि कर योग्य नहीं – कोई वस्तु तथा सेवा कर का भुगतान नहीं]	शून्य
कर योग्य मदें का आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु परिवहन एजेंट को भुगतान किये गये भाड़ा पर उलटा प्रभार के अन्तर्गत भुगतान वस्तु तथा सेवा कर - [` 1,00,000 x 5%]	5,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

विमुक्त मदों का आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु परिवहन एजेंट को भुगतान भाड़ा पर उलटा प्रभार के अन्तर्गत भुगतान वस्तु तथा सेवा कर - [` 80,000 x 5%] [केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर की धारा 2(47) के अनुसार, विमुक्त आपूर्ति का अर्थ आपूर्ति जो धारा 11 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के जरिये समस्त रूप से विमुक्त है। अतएव, विमुक्त मदों का आंतरिक परिवहन की इनपुट सेवा को विमुक्त आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए विमुक्त आपूर्ति से जुड़ा एक निष्ट इनपुट कर को अलग करना है]	शून्य
गैर कर योग्य मदों का आंतरिक परिवहन के लिए वस्तु परिवहन एजेंसी को भुगतान भाड़ा पर उलटा प्रभार के अन्तर्गत भुगतान वस्तु तथा सेवा कर - [` 20,000 x 5%] [विमुक्त आपूर्ति में केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 2(47) के संदर्भ में गैर कर योग्य आपूर्ति है। अतएव, गैर कर योग्य मदों का आंतरिक परिवहन के लिए इनपुट सेवा को एक निष्ट रूप से विमुक्त आपूर्ति के लिए किया जाता है। इनपुट कर एक निष्ट रूप से जुड़े इनपुट कर को अलग करना होगा।]	शून्य
मासिक किराया पर भुगतान वस्तु तथा सेवा कर – व्यापार उद्देश्य के लिए [(` 5,50,000 x 18%) - [(` 5,50,000 x 18%)] का 1/3	66,000
पैकिंग प्रभार पर भुगतान किया गया वस्तु तथा सेवा कर [` 2,50,000 x 18%]	45,000
स्टोर पर कर्मचारियों को भुगतान किया गया वेतन [रोजगार के दौरान अथवा रोजगार के संबंध में नियोक्ता को कर्मचारी द्वारा सेवा केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की अनुसूची III का पैरा 1 के संदर्भ में आपूर्ति नहीं तथा इसलिए उस पर कोई वस्तु तथा सेवा कर भुगतानयोग्य नहीं है]	शून्य
व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रयुक्त इनपुट पर भुगतान वस्तु तथा सेवा कर [व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों पर इनपुट कर क्रेडिट केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 17(5)(g) के अन्तर्गत ब्लाक है]	शून्य
व्यापार उद्देश्य के लिए प्राप्त किराया पर कार सेवा के लिए भुगतान किया गया वस्तु तथा सेवा कर [केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 17(5)(b)(iii) के अन्तर्गत किराया पर कार सेवा पर इनपुट कर क्रेडिट क्योंकि उसे All-in-One Store द्वारा कर योग्य सम्मिश्रत अथवा मिश्रत आपूर्ति के भाग के रूप में किराया पर कार सेवा को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त नहीं	शून्य

© The Institute of Chartered Accountants of India

किया। यह माना गया है कि सरकार ने केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम की धारा 17(5)(b)(iii)(A) के अन्तर्गत इस प्रकार की सेवा को अधिसूचित नहीं किया]	
निःशुल्क नमूने के रूप में दी गई मदो शून्य पर भुगतान किया गया वस्तु तथा सेवा कर (निःशुल्क नमूने के जरिये निपटारा वस्तु पर इनपूट कर क्रेडिट को क्रेन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियिम 2017 की धारा 17(5) (h) के अन्तर्गत ब्लॉक किया है।)	
GST paid on items given as free samples [ITC on goods *inter alia*, disposed of by way of free samples is blocked under section 17(5)(h) of the CGST Act, 2017]	शून्य
Total ITC credited to the electronic ledger	**11,06,000**

2. (i) **XYZ Ltd. द्वारा परिवहन के लिए भुगतान राशि पर भुगतानयोग्य वस्तु तथा सेवा कर की गणना जब यह विभिन्न परिवार की सेवाओं का लाभ उठाता है**

विवरण	**भाड़ा [`]**	**भुगतानयोग्य वस्तु तथा सेवा कर [`]**
एक व्यक्ति से संबंधित स्थानीय मिनी वेन में बिस्कुट का परिवहन [केवल वस्तु परिवहन एजेंट द्वारा सड़क द्वारा वस्तु का परिवहन वस्तु तथा सेवा कर के लिए दायी है] इसलिए, वस्तु परिवहन एजेंट के अतिरिक्त अन्यथा सड़क द्वारा वस्तु का परिवहन वस्तु तथा सेवा कर से विमुक्त है – *अधिसूचना संख्या 12/2017 CT (R) तथा 9/2017 IT (R) दोनों दिनांक 28.06.2017.*]	54,000	शून्य
भारतीय रेल द्वारा बिस्कुट का परिवहन	3,17,000	15,850
वस्तु परिवहन एजेंट द्वारा बिस्कुट का परिवहन [एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर 2017 जिसे *अधिसूचना संख्या 10/2017 IT (R) दिनांक 28.06.2017* के साथ पढा जाये, के संदर्भ में उलटा प्रभार के अन्तर्गत XYZ Ltd. द्वारा वस्तु तथा सेवा कर भुगतानयोग्य है]	3,00,000	15,000
12% की दर से वस्तु परिवहन एजेंट द्वारा बिस्कुट का परिवहन [जब वस्तु परिवहन एजेंट 12% की दर से कर का भुगतान करता है, कर अग्रिम प्रभार के अन्तर्गत वस्तु	73,000	8,760

© The Institute of Chartered Accountants of India

परिवहन एजेंट द्वारा भुगतानयोग्य है तथा ना कि उलटा प्रभार के अन्तर्गत प्राप्तकर्ता द्वारा – *अधिसूचना संख्या 10/2017 IT (R) दिनांक 28.06.2017.*]		
वस्तु परिवहन एजेंट द्वारा मैदा का परिवहन [परिवहन (एक वस्तु कैरिज) के जरिये वस्तु परिवहन एजेंट द्वारा प्रदान सेवा *अधिसूचना संख्या 9/2017 IT (R) दिनांक 28.06.2017* के जरिये वस्तु तथा सेवा कर से विमुक्त है]	55,000	शून्य
वस्तु परिवहन एजेंट द्वारा मक्खन का परिवहन [यद्यपि परिवहन (एक वस्तु कैरिज में) के जरिये वस्तु परिवहन एजेंट द्वारा दूध की सेवा *अधिसूचना संख्या 9/2017 IT (R) दिनांक dated 28.06.2017* के जरिये विमुक्त है, मक्खन का सड़क परिवहन विमुक्त नहीं होगा, क्योंकि मक्खन दुग्ध उत्पाद है तथा दूध नहीं] XYZ Ltd. द्वारा वस्तु तथा सेवा कर एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 5(3) जिसे *अधिसूचना संख्या 10/2017 IT (R) दिनांक 28.06.2017* के साथ पढा जाये उलटा प्रभार के अन्तर्गत भुगतानयोग्य है]	35,000	1,750
वस्तु परिवहन एजेंट द्वारा बेकिंग पाउडर का परिवहन [वस्तु का गुड्स कैरिज में परिवहन के जरिये वस्तु परिवहन एजेंट द्वारा प्रदान सेवा, जहां पर एक एकल कैरिज में परिवहन प्रेषण पर वस्तु का परिवहन के लिए वसूल प्रतिफल ` 1,500 से अधिक नहीं है, *अधिसूचना संख्या 9/2017 IT/R* दिनांक 28.06.2017के जरिये वस्तु तथा सेवा कर से विमुक्त है]	1,500	शून्य
वस्तु परिवहन एजेंट द्वारा सहयोगी संस्था को बिस्कुट का परिवहन [एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 5(3) जिसे अधिसूचना संख्या *10/2017 IT (R) दिनांक 28.06.2017* के साथ पढा जाये, के संदर्भ में उल्टा प्रभार के अन्तर्गत XYZ Ltd. द्वारा वस्तु तथा सेवा कर भुगतानयोग्य है]	40,000	2,000
विभिन्न परिवहनकर्ता की सेवा को प्राप्त करने पर XYZ Ltd. द्वारा भुगतानयोग्य कुल कर		**43,360**

(ii) XYZ Ltd. द्वारा अपने ग्राहकों को बिल की गयी परिवहन लागत पर वसूल वस्तु तथा सेवा कर की गणना

क्योंकि XYZ Ltd. बिस्कुट को FOR आधार पर आपूर्ति कर रहा है, बिस्कुट का परिवहन की सेवा बिस्कुट की आपूर्ति के साथ बंडल हो गयी। इसलिए, बिस्कुट की आपूर्ति तथा परिवहन सेवा एक सम्मिश्रत सेवा है, जो प्रमुख आपूर्ति (बिस्कुट) पर लागू दर अर्थात् 12% पर वसूलीयोग्य है [केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 8(a) जिसे केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2(30) के अन्तर्गत सम्मिश्रत आपूर्ति तथा केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2(90) की परिभाषा के अन्तर्गत 'प्रमुख आपूर्ति' के साथ पढा जाये]

विवरण	**भुगतान किराया [`] [A]**	**किराया पर भुगतान GST [`] [B]**	**[A] + [B]) पर 2% की दर से मार्कअप के साथ बिल भाड़ा**	**12% की दर से प्रभारित GST [`]**
व्यक्ति से संबंधित स्थानीय मिनी वेन में बिस्कुट का परिवहन	54,000	-	55,080	6,610
भारतीय रेलवे द्वारा बिस्कुट का परिवहन	3,17,000	15,850	3,39,507	40,741
.....परिवहन एजेंट (GTA) द्वारा बिस्कुट का परिवहन	3,00,000	15,000	3,21,300	38,556
......परिवहन एजेंट (GTA) द्वारा बिस्कुट का परिवहन 12%	73,000	8,760	83,395	10,007
......करें को बिल परिवहन ......पर XYZ Ltd. द्वारा ..... कुल कर on transportation cost billed to the customers*				**95,914**

**नोट: यह माना गया है कि सहयोगी संस्था (गैर ग्राहक) को बिल परिवहन लागत पर कोई मार्कअप नहीं है।*

3. केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर नियम 2017 का नियम 32(2) धन परिवर्तन सहित विदेशी मुद्रा का क्रय अथवा बिक्री के संबंध में सेवा की आपूर्ति का मूल्य का निर्धारण के लिए प्रावधान को निर्धारित करता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(A) केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर नियम 2017 का नियम 32(2)(a) के अन्तर्गत निर्धारण मूल्य

(i) केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर नियम 2017 का नियम 32(2)(a) प्रदान करता है कि एक मुद्रा के लिए सेवा की आपूर्ति का मूल्य जब रूप्ये में अथवा रूपये से विनिमय की जाती है, क्रय दर अथवा बिक्री दर जैसा भी मामला के अंतर तथा उस समय उस मुद्रा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर जिसे मुद्रा की कुल यूनिट के द्वारा गुणा किया के बराबर होगी। इसलिए आपूर्ति का मूल्य है:

= (US $ के भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ दर - US $ की क्रय दर) × क्रय किये गये US $ की यूनिट की कुल संख्या

= (` 68.6 - ` 68) × 1,000

= ` 600

(ii) केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर नियम 2017 का नियम 32(2)(a) का प्रथम उपबंध रखता है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक की एक करेंसी के लिए संदर्भ दर उपलब्ध नहीं, है तब मूल्य धन को परिवर्तित करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान अथवा प्राप्त भारतीय रूपये की सकल राशि का 1% होगा। इसलिए आपूर्ति का मूल्य है:

= प्राप्त भारतीय रूपये की सकल राशि का 1%

= (` 67.50 × 2,000) का 1%

= ` 1,350

(B) केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर नियम 2017 का नियम 32(2)(b) के अन्तर्गत मूल्य का निर्धारण

नियम 32(2)(a) का तृतीय उपबंध वर्णित करता है कि धन परिवर्तन सहित विदेशी मुद्रा का क्रय अथवा विक्रय के संबंध में सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति वित्तीय वर्ष के लिए नियम 32(2)(b) के संदर्भ में मूल्य को ज्ञात करने का विकल्प का उपयोग कर सकता है तथा इस प्रकार के विकल्प को उस वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए वापिस नहीं लिया जा सकता।

नियम 32(2)(b) प्रदान करता है कि धन परिवर्तन सहित विदेशी मुद्रा की आपूर्ति के संबंध में मूल्य को माना जायेगा–

क्रम संख्या	विनिमय मुद्रा	आपूर्ति का मूल्य
1.	` 1,00,000 तक	विनिमय मुद्रा की सकल राशि का **1%** **अथवा** **` 250** जो भी अधिक है।
2.	` 1,00,000 से अधिक तथा `	**` 1,000 +** (विनिमय मुद्रा की सकल

	10,00,000 तक	राशि - ` 1,00,000) का **0.50%**
3.	` 10,00,000 से अधिक	**` 5,500 +** विनिमय करेंसी की सकल राशि - ` 10,00,000) का **0.1%** **अथवा** **` 60,000** जो भी कम है।

इसलिए, दिये गये मामले में आपूर्ति का मूल्य की गणना निम्न है:

(i) विनिमय मुद्रा की सकल राशि = ` 68 × ` 1,000 = ` 68,000। क्योंकि विनिमय मुद्रा की सकल राशि ` 1,00,000 से कम है, आपूर्ति का मूल्य विनिमय मुद्रा की सकल राशि का 1% [` 68,000 का 1%] अथवा ` 250 जो भी अधिक है= ` 680

(ii) विनिमय मुद्रा की सकल राशि = ` 67.50 × 2,000 = ` 1,35,000 है। क्योंकि विनिमय मुद्रा की सकल राशि ` 1,00,000 से अधिक है परन्तु ` 10,00,000 से कम है, आपूर्ति का मूल्य ` 1,000 + (` 1,35,000 - ` 1,00,000) का 0.50% है

= ` 1,175

4. जनवरी 20XX के माह के लिए जसकरण की वस्तु तथा सेवाकर दायित्व की गणना,

विवरण	केंद्रीय बिक्री तथा सेवा कर (`)	राज्य वस्तु तथा सेवा कर (`)	एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर (`)
Sukhija Gift Shop, Punjab को 20,000 पैकेज की आपूर्ति [नोट-1]			1,09,526 [6,08,475 × 18%]
Morarji Banquet Halls, Chandigarh को 10 जनरेटर किराया पर देना [नोट-2]			45,000 [2,50,000 × 18%]
ग्राहकों को निःशुल्क उपहार के रूप में दिया 500 पैकेट [नोट-3]	शून्य	शून्य	शून्य
बड़े भाई का व्यापार का उद्घाटन समारोह के लिए निःशुल्क प्रदान खान पान सेवा [नोट-3]	5,445 [60,500 × 9%]	5,445 [60,500 × 9%]	
कुल वस्तु तथा सेवा कर दायित्व (राउंड ऑफ)	**5,445**	**5,445**	**1,54,526**

नोट:

© The Institute of Chartered Accountants of India

1. केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 2(74) के अनुसार, मिश्रात आपूर्ति का अर्थ एक एकल कीमत के लिए एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा एक अन्य के साथ संयुक्त में किया उसके किसी समुच्चय अथवा वस्तु अथवा सेवा की दो अथवा अधिक व्यक्ति आपूर्ति से है जहां पर इस प्रकार की आपूर्ति सम्मिश्रत आपूर्ति नहीं बनाता।

   पैकेज की आपूर्ति में चॉकलेट, फल रस बोतल तथा खिलौना गुब्बारा का पैकेट समाहित है, जो एक सम्मिश्रत आपूर्ति है क्योंकि इसमें से प्रत्येक मद की पृथक रूप से आपूर्ति की जा सकती है तथा एक आय पर निर्भर नहीं है। आगे, केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 8(b) के अनुसार, सम्मिश्रत आपूर्ति को उस विशेष आपूर्ति की आपूर्ति माना जाता है जिस पर कर की अधिकतम दर लगती है। इसलिए, दिये गये मामले में, पैकेज की आपूर्ति को चॉकलेट की आपूर्ति माना जाता है [क्योंकि इस पर कर की अधिकतम दर लगती है]. परिणामतः वस्तु की अन्तर्राज्य आपूर्ति होने के कारण, Sukhija Gift Shop Punjab प्रत्येक 18% की दर से एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर के तहत है।

   आगे, आपूर्ति का मूल्य में केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 15(2)(d) के संदर्भ में किसी आपूर्ति के लिए किसी प्रतिफल का देरी से भुगतान के लिए वसूल ब्याज अथवा देरी से शुल्क अथवा दंड सम्मिलित है। इसलिए, देरी से भुगतान के लिए Sukhija Gift Shop से संग्रहित ` 10,000 [वस्तु तथा सेवाकर सहित माना] का दंड को आपूर्ति का मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा। आपूर्ति का कुल मूल्य ` 6,08,475 है [` 6,00,000 + (` 10,000 × 100/118)]

2. एक वस्तु परिवहन एजेंसी की सेवा को छोड़कर सड़क द्वारा वस्तुओं का परिवहन के जरिये सेवा *अधिसूचना संख्या 9/2017 IT (R) दिनांक 28.06.2017* के जरिये विमुक्त है। क्योंकि जसकरण वस्तु परिवहन एजेंट नहीं है, उसके द्वारा प्रदान परिवहन सेवा वस्तु तथा सेवा कर से विमुक्त है। यद्यपि क्योंकि जनरेटर्स को ग्राहक की परिसर तक उसके परिवहन के साथ किराया पर लिया जाता है, यह केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 2(30) के अन्तर्गत सम्मिश्रत आपूर्ति है जहां पर प्रमुख आपूर्ति जनरेटर का किराया पर देना है।

   केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 8(a) के अनुसार, सम्मिश्रत आपूर्ति को प्रमुख आपूर्ति के रूप में माना जाता है। इसलिए, जनरेटर्स की परिवहन की सेवा को जनरेटर का किराया (प्रमुख आपूर्ति) के लिए लागू दर पर कर लगाया जा सकता है।

   परिणामतः एक अन्तर्राज्य सेवा की आपूर्ति होने के कारण, Chandigarh का Morarji Banquet Halls को जनरेटर की सेवा प्रत्येक 18% की दर से एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर के तहत है।

3. केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 7(1)(c) के अनुसार, बिना प्रतिफल के की गयी गतिविधियों को केवल तब ही आपूर्ति माना जाता है जब यह केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची I में निर्दिष्ट है। अनुसूची I का पैरा 2 प्रदान करता है कि संबंधित व्यक्ति के मध्य अथवा भिन्न व्यक्ति जैसा धारा

© The Institute of Chartered Accountants of India

25 में निर्दिष्ट है, के मध्य वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों को व्यापार के दौरान अथवा बढाने के लिए आपूर्ति को आपूर्ति माना जाता है चाहे यदि बिना प्रतिफल के किया है।

यद्यपि, क्योंकि प्रश्न प्रदान नहीं करता है कि ग्राहक जसकरण से संबंधित है, ग्राहकों को दिया गया निःशुल्क उपहार को धारा 7 के अन्तर्गत आपूर्ति नहीं माना जा सकता। परिणामतः उस पर कोई कर नहीं लगेगा।

आगे, जसकरण द्वारा अपने बड़े भाई को बिना प्रतिफल के प्रदान खानपान सेवा को आपूर्ति माना जायेगा क्योंकि जसकरण तथा उसका बड़ा भाई उसी परिवार का सदस्य होने के कारण केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 15 की स्पष्टीकरण (a)(viii) के संदर्भ में संबंधित व्यक्ति तथा उक्त सेवा को व्यापार के दौरान/बढाने के लिए प्रदान किया है। एक एजेंट के जरिये के अतिरिक्त संबंधित व्यक्ति के मध्य सेवा की आपूर्ति का मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की नियम 28 के अनुसार निर्धारित किया गया है। तदानुसार, आपूर्ति का मूल्य इस प्रकार की आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य है; यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं, इसी प्रकार तथा गुणवत्ता की वस्तु अथवा सेवा की आपूर्ति का मूल्य। यद्यपि, यदि उक्त तरीके के अन्तर्गत मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसे आपूर्ति की लागत जमा 10% मार्कअप पर आधारित कर निकाला जा सकता है। इसलिए दिये गये मामला में जसकरण का बड़े भाई को प्रदान खानदान से घर का मूल्य ` 60,500 [` 55,000 × 110%] है। आगे, सेवा की अन्तः राज्य आपूर्ति होने के कारण, खानपान सेवा 2.5% प्रत्येक की दर से केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर तथा राज्य वस्तु सेवा कर के तहत है।

4. *अधिसूचना संख्या 13/2017 CT(R) दिनांक 28.06.2017* के अनुसार, वस्तु तथा सेवा कर वस्तु परिवहन एजेंट से सड़क द्वारा वस्तु का परिवहन की सेवा की प्राप्ति पर उल्टा प्रभार आधार पर प्राप्त कर्ता द्वारा भुगतानयोग्य है बशर्ते वस्तु परिवहन एजेंट ने 12% की दर से वस्तु तथा सेवा कर का भुगतान नहीं किया। क्योंकि दिये गये मामले में, जसकरण ने एक वस्तु परिवहन एजेंट से सेवा प्राप्त की जिसने 12% की दर से वस्तु तथा सेवा कर का भुगतान किया, उलटा प्रभार प्रावधान लागू नहीं होगा।

5. (i) पार्थ (पुने) तथा बकुल (बरेली) के मध्य आपूर्ति **<u>आपूर्ति का शिप को बिल है।</u>** जहां पर वस्तुओं को आपूर्तिकर्ता [पार्थ] द्वारा प्राप्तकर्ता [श्रेयस (शिमोगा)] अथवा तृतीय व्यक्ति [बकुल] के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को सुपुर्द किया जाता है। वस्तु की आपूर्ति के लिए शिप का बिल के मामले में आपूर्ति का स्थान का निर्धारण एकीकृत वस्तु तथा सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 10(1)(b) के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है।

एकीकृत वस्तु तथा सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 10(1)(b) के अनुसार जहां पर वस्तु को आपूर्तिकर्ता द्वारा एक प्राप्तकर्ता अथवा व्यक्ति के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को वस्तु का अंतरण के जरिये अथवा अन्यथा वस्तुओं की मूवमेंट से पहले अथवा के दौरान एक एजेंट के रूप में कार्य करते हुए अथवा अन्य वस्तु को सुपुर्द करता है, यह माना जायेगा कि उक्त तृतीय व्यक्ति ने वस्तु को प्राप्त कर लिया तथा इस प्रकार की वस्तु की आपूर्ति का स्थान इस प्रकार के व्यक्ति का व्यापार का प्रमुख स्थान होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इसलिए, दिये गये मामला में, यह माना गया है कि बकुल ने वस्तुओं को प्राप्त कर लिया तथा इस प्रकार की वस्तु की आपूर्ति का स्थान बकुल का व्यापार का प्रमुख स्थान है। तदानुसार, पार्थ (पुने) तथा बकुल (बरेली) के मध्य आपूर्ति का स्थान बरेली उत्तर प्रदेश होगा।

इस स्थिति में बकुल (बरेली) तथा श्रेयस (शिमोगा) के मध्य एक अन्य आपूर्ति लिप्त है। इस मामले में आपूर्ति का स्थान का निर्धारण एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 10(1)(a) के संदर्भ में निर्धारित किया जायेगा।

एकीकृत वस्तु तथा सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 10(1)(a) वर्णित करती है कि जहां पर आपूर्ति में चाहे आपूर्तिकर्ता अथवा प्राप्तकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वस्तु की मूवमेंट लिप्त है, इस प्रकार की वस्तु की आपूर्ति का स्थान समय पर वस्तु की लोकेशन होगी जिस पर वस्तु की मूवमेंट प्राप्तकर्ता को सुपुर्दगी के लिए समाप्त होती है।

इसलिए, द्वितीय मामले में आपूर्ति का स्थान समय में वस्तु की लोकेशन है जब वस्तु की मूवमेंट प्राप्तकर्ता (श्रेयस) अर्थात् शिमोगा कर्नाटक की सुपुर्दगी के लिए वस्तु की मूवमेंट समाप्त होती है।

(ii) एकीकृत वस्तु तथा सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 12(7)(a)(i) वर्णित करता है कि एक समारोह का आयोजन के जरिये सेवा को पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता की लोकेशन है।

क्योंकि दिये गये मामले में, बैंगलोर में उत्पादन को उतारने के लिए पार्टी को Damani Industries (मुंबई में पंजीकृत) के लिए आयोजित की गई है आपूर्ति का स्थान Damani Industries अर्थात् मुंबई है।

जहां पर उत्पाद को उतारने के लिए पार्टी का आयोजन दुबई में किया जाता है, उत्तर वहीं रहेगा, अर्थात् आपूर्ति का स्थान Damani Industries की लोकेशन मुंबई है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

6.

विवरण	`	अपात्र क्रेडिट (`)	इलैक्ट्रोनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की जाने वाली राशि (`)
मशीन 'A' [क्योंकि एक निष्ट रूप से गैर व्यापार उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया है, इनपुट पर क्रेडिट केंद्रीय वस्तु तथा सेवाकर नियम 2017 का नियम 43(1)(a) के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं है।		19,200	
मशीन 'B' [इनपुट कर क्रेडिट उद्देश्य के लिए, कर योग्य सेवा में केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर नियम 2017 का नियम 43(1)(b) के अन्तर्गत शून्य रेटिड आपूर्ति सम्मिलित है। अतएव पूर्ण इनपुट कर क्रेडिट उपलब्ध है।			38,400
मशीन 'C' [सामान्यतः कर योग्य तथा विमुक्त आपूर्ति के लिए प्रयुक्त केन्द्रीय वस्तु तथा सेवाकर नियम 2017 का नियम 43(1)(c)	96,000		96,000
मशीन 'D' [एक निष्ट रूप से विमुक्त से दोनों कर योग्य तथा विमुक्त में उपयोग में परिवर्तन के कारण, केन्द्रीय वस्तु तथा सेवाकर नियम 2017 का नियम 43(1)(c) के उपबंध के संदर्भ में 5% प्रति त्रैमासिक अथवा भाग द्वारा सामान्य क्रेडिट को घटाया जायेगा। = ` 1,92,000 – ` 76,800 (` 1,92,000 × 5% × 8 त्रैमासिक)	1,15,200		1,15,200
मशीन 'E' [एक निष्ट रूप से विमुक्त से दोनों कर योग्य तथा विमुक्त के उपयोग में परिवर्तन के कारण, केन्द्रीय वस्तु तथा सेवाकर नियम 2017 का नियम 43(1)(d) का उपबंध के संदर्भ में 5% प्रति त्रैमासिक अथवा भाग द्वारा सामान्य क्रेडिट को घटाया जायेगा। = ` 2,88,000 – ` 1,72,800 (` 2,88,000 × 5% × 12 त्रैमासिक)	1,15,200		

© The Institute of Chartered Accountants of India

कुल सामान्य क्रेडिट	3,26,400		
केन्द्रीय वस्तु तथा सेवाकर नियम 2017 का नियम 43(1)(e) के अन्तर्गत कर अवधि के लिए सामान्य क्रेडिट (दिये गये मामले में, एक माह) = ` 3,26,400÷ 60	5,440		
केन्द्रीय वस्तु तथा सेवाकर नियम 2017 का नियम 43(1)(g) के अन्तर्गत अप्रैल, 20XX में विमुक्त आपूर्ति से जुड़ा सामान्य क्रेडिट = (विमुक्त आपूर्ति का टर्नओवर/कुल टर्नओवर) x सामान्य क्रेडिट = (12,00,000/24,00,000) × ` 5,440 [इस प्रकार का क्रेडिट लागू ब्याज सहित को Oberoi Industries की आउटपुट कर दायित्व में जोड़ा जायेगा]		**2,720**	
अप्रैल, 20XX के माह के लिए Oberoi Industries का इलैक्ट्रोनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होने वाली राशि			**2,49,600**

7. अधिसूचना संख्या *12/2017 CT (R)* दिनांक *28.06.2017* के अनुसार, एक क्लिनिकल स्थापना द्वारा स्वास्थय परिचर्चा सेवा के जरिये सेवा, एक प्राधिकृत चिकित्सक अथवा अर्द्धचिकित्सक वस्तु तथा सेवा कर से विमुक्त है।

स्वास्थय परिचर्चा सेवा को भारत में दवा का किसी मान्यता सिस्टम में बीमारी, चोट, विरूपता, असामान्यतः अथवा गर्भावस्था के लिए निदान अथवा उपचार अथवा परिचर्या के जरिये किसी सेवा के लिए परिभाषित किया है तथा कलिनिकल स्थापना तक तथा से रोगी का परिवहन के जरिये सेवा सम्मिलित है परन्तु केश प्रत्यारोपण अथवा सोंदर्य अथवा प्लास्टिक शल्य चिकित्सा सम्मिलित नहीं है सिवाय वंशानुगत त्रुटि, विकास असामान्यतः चोट अथवा आघात के कारण प्रभावित शरीर का कार्य अथवा शरीर को बनाये रखने अथवा पुर्ननिर्माण के लिए की जाती है।

परिपत्र संख्या 32/06/2018 GST दिनांक 12.02.2018 ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त परिभाषा के मत में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हस्पताल भी स्वास्थय परिचर्या सेवा प्रदान करते हैं। रोगियों से उनके द्वारा वसूल राशि में हस्पताल द्वारा रोगियों को प्रदान स्वास्थय परिचर्या सेवा के लिए डॉक्टर को किया गया शुल्क/भुगतान तथा रिटेंशन धन सम्मिलित है तथा वस्तु तथा सेवाकर से विमुक्त है। उपरोक्त के मत में, वस्तु तथा सेवाकर शिवा मेडिकल स्टोर द्वारा रखी रीटेंशन धन पर लागू नहीं है।

परिपत्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि हस्पताल के द्वारा किराया पर लिया वरिष्ठ डाक्टर्स/तकनीकी चाहे कर्मचारी है अथवा नहीं; वस्तु तथा सेवाकर से विमुक्त स्वास्थय परिचर्या सेवा है। अतएव, शिवा मेडिकल सेंटर जो स्वास्थय परिचर्या सेवा है, के द्वारा

किराया पर वरिष्ठ डाक्टर्स तथा परामर्शदाता द्वारा प्रदान सेवा भी वस्तु तथा सेवा कर से विमुक्त है।

परिपत्र ने आगे स्पष्ट किया है कि अस्पताल केंटीन द्वारा गृह में रोगियों को जैसा डॉक्टर/भोजन विशेषज्ञ द्वारा सलाह दी है कि आपूर्ति भोजन स्वास्थय परिचर्या सेवा की मिश्रत आपूर्ति का भाग है तथा पृथक रूप से कर योग्य नहीं है। इसलिए यह वस्तु तथा सेवा कर से विमुक्त है यद्यपि, हस्पताल द्वारा रोगियों (दाखिल नहीं) अथवा उनके परिचारक अथवा आगुंतकों को भोजन की आपूर्ति कर योग्य है। उनके मत में, वस्तु तथा सेवा कर अन्नपूर्णा भवन द्वारा दाखिल रोगियों को जैसा डॉक्टर्स/भोजन विशेषज्ञ के द्वारा सलाह दी है आपूर्ति भोजन पर वस्तु तथा सेवा कर लागू नहीं है जबकि इसके द्वारा रोगियों (दाखिल नहीं) को अथवा उनके परिचारकों/आगुंतक को भोजन की अन्य आपूर्ति कर योग्य है।

8. केन्द्रीय वस्तु तथा सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 10(1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति जिसकी पहले के वित्तीय वर्ष में टर्नओवर ` 1 करोड़ से अधिक नहीं है, उसके द्वारा भुगतानयोग्य कर के स्थान पर निर्दिष्ट दरों पर गणना एक राशि का भुगतान के लिए चुन सकता है यदि रेस्त्रां सेवा के अतिरिक्त सेवा की आपूर्ति में लिप्त नहीं है।

यद्यपि, सेवा प्रदानकर्ता पर संयुक्त लेवी के लिए पात्र होने के लिए रेस्त्रां सेवा के अतिरिक्त किसी सेवा में लिप्त ना होने पर प्रतिबंध को *आदेश संख्या 01/2017 CT दिनांक 13.10.2017* के जरिये छूट दी गयी है। उक्त आदेश स्पष्ट करता है कि:

(i) यदि व्यक्ति उक्त अधिनियम (रेस्त्रां सेवा) की अनुसूची II का पैरा 6 का वाक्य (b) में संदर्भित वस्तु तथा/अथवा सेवा तथा साथ जमा, ऋण अथवा अग्रिम के जरिये सेवा जहां तक ब्याज अथवा बट्टा के जरिये प्रतिफल सहित किसी विमुक्त सेवा की आपूर्ति करता है, उक्त व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट सभी अन्य शर्तों को पूरा होने के तहत केंद्रीय वस्तु तथा सेवा का अधिनियम 2017 की धारा 10 के अन्तर्गत संयुक्त योजना के लिए अपात्र नहीं होगा।

(ii) संयुक्त योजना में अपनी पात्रता का निर्धारण करने के लिए कुल टर्नओवर की गणना में, जमा, ऋण अथवा अग्रिम के जरिये सेवा जहां तक ब्याज अथवा बट्टा के जरिये प्रतिफल है, के द्वारा सेवा सहित विमुक्त सेवा की आपूर्ति के मूल्य को हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

दिये गये मामले में, Shubhlaxmi Foods द्वारा रेस्त्रां सेवा के अतिरिक्त प्रदान दो अन्य सेवा उदाहरणतः कृषि मजदूरी की आपूर्ति की सेवा तथा जमा के जरिये सेवा जहां पर प्रतिफल ब्याज के जरिये है *अधिसूचना संख्या 12/2017 CT (R) दिनांक 28.06.2017 के जरिये वस्तु तथा सेवा कर से विमुक्त है।*

इसलिए, उपरोक्त वर्णित आदेश के मत में, क्योंकि रेस्त्रां सेवा के अतिरिक्त Shubhlaxmi Foods द्वारा आपूर्ति अन्य सेवा विमुक्त सेवा है, Shubhlaxmi Foods संयुक्त योजना के लिए अपात्र नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

आगे, संयुक्त योजना के लिए Shubhlaxmi Foods की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उसकी योग टर्नओवर की गणना में, विमुक्त सेवा की आपूर्ति का मूल्य – कृषि श्रम तथा बैंक ब्याज की आपूर्ति को हिसाब में नहीं लिया जायेगा। इसलिए, Shubhlaxmi Foods की योग टर्नओवर ` 90 लाख है (रेस्त्रां सेवा से टर्नओवर)

उपरोक्त चर्चा से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि Shubhlaxmi Foods संयुक्त योजना के लिए पात्र है।

यद्यपि, यदि Shubhlaxmi Foods कृषि श्रम की आपूर्ति के स्थान पर धान का चावल में मिलिंग में लिप्त है, यह *आदेश संख्या 01/2017 CT* के अनुसार संयुक्त लेवा के लिए पात्र नहीं होगा रेस्त्रां सेवा का आपूर्ति वाला व्यक्ति केवल संयुक्त लेवा के लिए पात्र है जब इसके द्वारा प्रदान अन्य सेवा विमुक्त सेवा है तथा धान का जॉब वर्क आधार पर चावल में मिलिंग विमुक्त सेवा नहीं है जैसा *परिपत्र संख्या 19/19/2017 GST दिनांक 20.11.2017* द्वारा स्पष्ट किया है।

9. केन्द्रीय वस्तु तथा सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 76 का प्रावधान Subharti Enterprises को इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य व्यक्ति से कर के प्रतिनिधित्व वाली राशि का संग्रहण करती है, सरकार को भुगतान करना अनिवार्य है।

केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 76 वर्णित करता है कि किसी अपीलीय प्राधिकरण अथवा अपीलीय अधिकरण अथवा न्यायालय अथवा केंद्रीय वस्तु तथा सेवाकर अधिनियम के अन्य प्रावधान अथवा उसके अन्तर्गत बनाया नियम अथवा प्रभाव में समय के लिए अन्य कानून में समाहित उलटा के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के रूप में किसी राशि को किसी अन्य व्यक्ति से संग्रहित किया तथा उक्त राशि को सरकार को भुगतान नहीं किया सरकार को उक्त राशि का तुरंत भुगतान करेगी इस पर विचार किये बिना क्या आपूर्ति जिसके संबंध में इस प्रकार संग्रहित राशि कर योग्य है अथवा नहीं।

जहां पर उपरोक्त वर्णित सरकार को किसी राशि की भुगतान की आवश्यकता है तथा जिसका इस प्रकार का भुगतान नहीं किया, उपयुक्त अधिकारी इस प्रकार की राशि के भुगतान के लिए दायी व्यक्ति को एक कारण बताओ नोटिस दे सकता है क्यों ना नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान सरकार को किया जाये तथा नोटिस में निर्दिष्ट राशि के समतुल्य दंड को इस अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत उस पर लगायी जाये।

उपयुक्त अधिकारी व्यक्ति जिस पर कारण बताओ नोटिस दिया गया है, के द्वारा प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् इस प्रकार के व्यक्ति से देय राशि का निर्धारण करेगा तथा उसके बाद ऐसे व्यक्ति को निर्धारित राशि का भुगतान करेगा।

व्यक्ति जिसने कर के रूप में किसी राशि का संग्रहण किया परन्तु उसे सरकार के साथ जमा नहीं किया उपयुक्त अधिकारी द्वारा निर्धारित उक्त राशि का भुगतान के अतिरिक्त हो सकता है उस पर ब्याज के भुगतान के लिए भी दायी होगा। धारा 50 के अन्तर्गत निर्दिष्ट दर पर ब्याज भुगतानयोग्य है ब्याज तिथि जिस पर उसके द्वारा इस प्रकार की राशि को संग्रहित किया, से सरकार को उसके द्वारा राशि के भुगतान तक ब्याज भुगतानयोग्य है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उपयुक्त अधिकारी नोटिस को जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर [ठहरने के आदेश की अवधि से हटकर] आदेश को जारी करेगा। उपयुक्त अधिकारी अपने आदेश में अपने निर्णय के आधार तथा प्रासंगिक तथ्य को सेट करेगा।

10. (1) (a) जब्ती के लिए दायी व्यक्ति के मामले में, केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 130(2) का प्रथम उपबंध के संदर्भ में लगने वाला जुर्माना की अधिकतम राशि जब्त की गयी वस्तु का बाजार मूल्य घटा उस पर वसूलीयोग्य कर है।

इसलिए, दिये गये मामले में, लगने वाला अधिकतम जुर्माना:

= ` 40,00,000 - ` 4,80,000 = ` 35,20,000

(b) एक मामले में जहां पर इस प्रकार की वस्तु के कैरिज के लिए प्रयुक्त वाहन जब्ती के लिए दायी है, केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 130(2) का तृतीय उपबंध के संदर्भ में जब्ती के स्थान पर लगने वाले जुर्माना की अधिकतम राशि उस पर परिवहन होने वाली वस्तु पर भुगतानयोग्य कर के बराबर है।

इसलिए, दिये गये मामले में, अधिकतम लगने वाला जुर्माना = ` 4,80,000

(2) नहीं, रघुरमन का दावा कानून में सही नहीं। केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर 2017 कर धारा 126 (1) प्रदान करती है कि कोई भी अधिकारी कर नियमों या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के मामूली उल्लघनों के लिए GST अधिनियम 2017 के तहत कोई जुर्माना नही लगाएगा। केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 126(1) की स्पष्टीकरण वर्णित करता है कि भंग को एक "छोटा भंग" माना जायेगा यदि लिप्त कर की राशि ` 5,000 से कम है।

दिये गये मामले में, रघुरमन द्वारा किया गया भंग "छोटा भंग" नहीं है, क्योंकि लिप्त राशि ` 5,000 से कम नहीं है। इसलिए, केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर के अन्तर्गत दंड लगेगा।

11. केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर 2017 की धारा 54(3)(ii) एक पंजीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के शुद्ध पर गैर प्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट की वापिसी की आज्ञा देता है जहां पर उलटा शुल्क संरचना के कारण क्रेडिट संग्रहित हो गया अर्थात् इनपुट कर की दर परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति को छोड़कर आउटपुट आपूर्ति (शून्य रेटिड अथवा पूर्ण विमुक्त आपूर्ति के अतिरिक्त) पर कर की दर ज्यादा है।

दिये गये मामले में, उत्पाद A तथा B में प्रयुक्त इनपुट पर कर की दर (18% प्रत्येक) उत्पाद A तथा B की आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर (5% प्रत्येक) से अधिक है। यद्यपि उत्पाद B एक उत्पाद के रूप में अधिसूचित है, जिसके संबंध में केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 54(3)(ii) के अन्तर्गत अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट की वापिसी की आज्ञा नहीं होगी। इसलिए केवल उत्पाद A धारा 54(3)(ii) के अन्तर्गत वापिसी के लिए पात्र है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

आगे, केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर नियम 2017 का नियम 89(5) वर्णित करता है कि उल्टा शुल्क संरचना के कारण वापिसी के मामले में, निम्न फार्मूला के अनुसार इनपुट कर क्रेडिट की वापिसी को प्रदान किया जायेगा -

$$\text{अधिकतम वापिसी राशि} = \frac{\text{वस्तुओं की उलटा दर आपूर्ति की टर्नओवर X शुद्ध इनपुट क्रेडिट}}{\text{समायोजित कुल टर्नओवर}} - \text{इस प्रकार उल्टी दर वस्तुओं की आपूर्ति पर भुगतानयोग्य कर}$$

जहाँ पर,-

A. **"शुद्ध इनपुट का क्रेडिट"** का अर्थ प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट तथा इनपुट सेवा पर प्राप्त इनपुट पर क्रेडिट है;

B. **"समायोजित कुल टर्नओवर"** का अर्थ प्रासंगिक अवधि के दौरान शून्य दर आपूर्ति के अतिरिक्त विमुक्त आपूर्ति का मूल्य को छोड़कर एक राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश में टर्नओवर से है।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, अधिकतम वापिसी राशि जिसकी Super Engineering Works दावा करने के लिए पात्र है कि निम्नानुसार गणना की जायेगी:

उत्पाद A की उलटा दर पर भुगतानयोग्य कर = ` 5,00,000 × 5% = ` 25,000

शुद्ध इनपुट पर क्रेडिट = ` 1,18,000 (` 54,000 + ` 54,000 + ` 10,000) [प्रासंगिक अवधि के दौरान प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट पर विचार करने की आवश्यकता, इस पर विचार किये बिना क्या इनपुट से संबंधित इनपुट कर क्रेडिट वस्तु की उल्टी दर आपूर्ति की वापिसी के लिए पात्र इनपुट से संबंधित है अथवा नहीं]

समायोजित कुल टर्नओवर = ` 9,50,000 (` 5,00,000 + ` 3,50,000 + ` 1,00,000)

उत्पाद A की उलटा दर आपूर्ति की टर्नओवर = ` 5,00,000

Super Engineering Works के लिए अधिकतम वापिसी राशि निम्न है:

= [(` 5,00,000 × ` 1,18,000)/ ` 9,50,000] - ` 25,000

= ` 37,105 (राउंड ऑफ)

12. **(i)** नहीं, उसे सभी मामलों मे इनबॉक्स जारी करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 31(1) के अनुसार, कर योग्य वस्तु की आपूर्ति करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर इन्वॉयस को जारी करना होता है। केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 31(3)(c) वर्णित करती है विमुक्त वस्तु की आपूर्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कर इन्वायस के स्थान पर आपूर्ति के बिल को जारी करना होता है।

केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 का नियम 46A के अनुसार जहां पर पंजीकृत व्यक्ति एक गैर पंजीकृत व्यक्ति को कर योग्य तथा विमुक्त वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कर रहा है, इस प्रकार की आपूर्ति के लिए इन्वायस सह आपूर्ति के बिल जारी किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

आगे, केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 31(3)(b) जिसे केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर नियम 2017 का नियम 46 के साथ पढा जाये, एक पंजीकृत व्यक्ति एक कर इंवायस को जारी नहीं करेगा यदि:

(i) आपूर्ति वस्तु का मूल्य ` 200 से कम है।

(ii) प्राप्तकर्ता गैर पंजीकृत है; तथा

(iii) प्राप्तकर्ता को इस प्रकार का इन्वायस को जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके स्थान पर पंजीकृत व्यक्ति इस प्रकार की आपूर्ति के संबंध में प्रत्येक दिवस के अंत पर इस प्रकार की आपूर्ति के लिए एकीकृत कर इन्वायस को जारी करेगा।

(ii) केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 का नियम 46A के अनुसार जहां पर पंजीकृत व्यक्ति एक गैर पंजीकृत व्यक्ति को कर योग्य तथा विमुक्त वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कर रहा है, इस प्रकार की आपूर्ति के लिए इन्वायस सह आपूर्ति का बिल को जारी किया जा सकता है। इसलिए क्रमशः कर योग्य तथा विमुक्त वस्तु की आपूर्ति के संबंध में विद्यालय छात्र को पृथक रूप से कर इन्वायस तथा आपूर्ति का बिल को जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 33 के अनुसार, जहां पर किसी आपूर्ति को प्रतिफल के लिए किया जाता है, एक व्यक्ति जो इस प्रकार की आपूर्ति के लिए कर का भुगतान के लिए दायी है, निर्धारण, कर इन्वायस तथा अन्य प्रपत्र में प्रमुख रूप से कर की राशि जिस कीमत पर आपूर्ति की गयी का भाग बनेगा। अतएव, जय को ग्राहकों को जारी इन्वायस में कर राशि को पृथक रूप से दिखाना होगा।

13. केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 60(4) वर्णित करती है कि जहां पर अंतिम निर्धारण के अनुसार कर दायित्व अंतरिम करनिर्धारण से अधिक है अर्थात् अंतिम निर्धारण के आदेश के कारण कर देय हो जाता है, पंजीकृत व्यक्ति अंतरिम करनिर्धारण के अन्तर्गत आपूर्ति वस्तु के संबंध में कर के भुगतान की देय तिथि के पश्चात् प्रथम दिवस से वास्तविक भुगतान की तिथि तक, चाहे इस प्रकार की राशि का भुगतान अंतिम कर निर्धारण के आदेश के जारी होने से पहले/अथवा बाद में किया धारा 50(1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट दर [18% प्रति वर्ष] पर वस्तु की आपूर्ति पर कर परन्तु देय तिथि पर भुगतान नहीं किया पर ब्याज के भुगतान के लिए दायी होगा।

दिये गये मामले में, 25.01.20XX अंतरिम प्रावधान को कलियर वस्तु पर कर के भुगतान की देय तिथि 20.02.20XX है।

धारा 60(4) के प्रावधान के मत में, दिये गये मामले में Kulbhushan & Sons प्रथम प्रेषण के संबंध में निम्न ब्याज के भुगतान के लिए दायी है:

= ` 1,80,000 × 18% × 48/365

= ` 4,261 (राउंड ऑफ)

आगे, केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम वर्णित करता है कि जहां पर कर दायित्व अंतरिम कर निर्धारण से कम है अर्थात् अंतिम करनिर्धारण के आदेश के परिणामतः कर

© The Institute of Chartered Accountants of India

वापिसी योग्य बन जाता है, धारा 54(1) के अन्तर्गत आवेदन की प्राप्ति की तिथि से इस प्रकार के कर की तिथि तक 60 दिवस की समाप्ति के तुरंत पश्चात् की तिथि से धारा 56 [6% प्रति वर्ष] पर पंजीकृत व्यक्ति ब्याज का भुगतान करेगा।

यद्यपि, क्योंकि दिये गये मामले में, वापिसी को वापिसी का आवेदन (09.04.20XX) की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवस (05.06.20XX) के अंदर किया है, द्वितीय प्रेषण के संबंध में वापिसी कर पर Kulbhushan & Sons को कोई ब्याज भुगतानयोग्य नहीं है।

14. केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 2(99) " पुर्नरीक्षण प्राधिकरण" को केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 108 में संदर्भित निर्णय अथवा आदेश का पुर्नरीक्षण के लिए केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अथवा प्राधिकृत एक प्राधिकरण है।

केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 108 इस प्रकार की Act, 2017 " पुर्नरीक्षणात्मक प्राधिकरण" को अपने अधीनस्थ के द्वारा पारित किसी आदेश की मांग करने तथा परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत करता है तथा जहां पर वह नीचे के प्राधिकरण के आदेश को त्रुटिपूर्वक मानता है जहां तक यह राजस्व से पूर्वाग्रह में है तथा अवैध अथवा अनुपयुक्त है तथा समग्र तथ्यों को हिसाब में नहीं लिया चाहे उस आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध थे अथवा नहीं अथवा कैग (CAG) के द्वारा अवलोकन के परिणामस्वरूप विचार करता है वह यदि आवश्यक समझता है तो नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सुनने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश का पुर्नरीक्षण कर सकता है। "पुर्नरीक्षण प्राधिकरण" इस प्रकार के पुर्नरीक्षण के लम्बन में अपने अधीनस्थ के द्वारा पारित किसी आदेश का परिचालन को भी रोक सकता है।

"पुर्नरीक्षणात्मक प्राधिकरण" किसी आदेश को पुर्नरीक्षण नहीं करेगी यदि-

(a) आदेश धारा 107 अथवा धारा 112 अथवा धारा 117 अथवा धारा 118 के अन्तर्गत अपील के तहत है; अथवा

(b) धारा 107(2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है अथवा निर्णय अथवा आदेश जिसका पुर्नरीक्षण करना है, का पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से ज्यादा समाप्त हो गया।

(c) आदेश किसी पहले के चरण पर इस धारा के अन्तर्गत पुर्नरीक्षण के लिए पहले से लिया गया है।

(d) आदेश पुर्नरीक्षणात्मक आदेश है।

15. केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 87 वर्णित करती है कि जब दो अथवा अधिक कम्पनियाँ न्यायालय अथवा अधिकरण का आदेश के तहत संविलयन अथवा विलय हो गयी तथा आदेश आदेश की तिथि से पहले की तिथि से प्रभाव में होगा तथा इस प्रकार की दो अथवा अधिक कम्पनियों ने तिथि जब आदेश प्रभाव में आया, से आदेश की तिथि तक आरंभ होने वाली अवधि के दौरान एक अन्य को अथवा से किसी वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों को प्राप्त अथवा आपूर्ति की, तब आपूर्ति तथा प्राप्ति की इस प्रकार का सौदे को क्रमशः कम्पनियों की आपूर्ति अथवा प्राप्ति की टर्नओवर में सम्मिलित किया जायेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उक्त आदेश में कुछ भी समाहित होने के बावजूद, केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 के उद्देश्य के लिए उक्त दो अथवा अधिक कम्पनियों को उक्त आदेश की तिथि तक अवधि के लिए भिन्न कम्पनियाँ माना जायेगा। उक्त कम्पनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तिथि के प्रभाव से निरस्त किया जायेगा।

16. नहीं, आयुक्त की अप्रोच कानून में सही नहीं है।

कस्टम अधिनियम 1962 की धारा 14 के अनुसार, वस्तु का सौदा मूल्य आयात के समय तथा स्थान पर वस्तुओं के लिए वास्तव में भुगतान अथवा भुगतानयोग्य कीमत है। आगे, उच्चतम न्यायालय ने *Garden Silk Mills Ltd. v. UOI 1993 (113) E.L.T. 358 (SC)* के मामले में निर्णय दिया कि वस्तुओं का आयात तब ही पूर्ण होता है जब वस्तु देश के अंदर वस्तुओं का भाग बन जाता है।

इसलिए, क्योंकि इस मामले में, वस्तु की कीमत को कम कर दिया जब वे पारगमन में थे, यह दलील नहीं दी जा सकती कि कीमत के आयात के पश्चात् पुर्नरक्षित किया। अतएव, वस्तु का मूल्यांकन घटी कीमत के अनुसार किया जाना चाहिए जिसका निर्यात के समय वास्तव में भुगतान कीमत थी।

17. आयातित मशीन का निर्धारणयोग्य मूल्य की गणना

विवरण	US $
फेक्टरी में मशीन की कीमत	17,000.00
जोड़ें: बंदरगाह तक परिवहन प्रभार	850.00
जोड़ें: बंदरगाह पर हेंडलिंग प्रभार	85.00
FOB	17,935.00
जोड़ें: भारत तक भाड़ा	1,700.00
जोड़ें: FOB का 1.125% की दर से बीमा प्रभार of [नोट 1]	201.77
CIF	19,836.77
CIF ` 60 प्रति $ की दर से भारतीय रूपये में	` 11,90,206.13
निर्धारणयोग्य मूल्य (राउंड ऑफ)	**`11,90,206**

नोट:

(1) बीमा प्रभार को मशीन का FOB मूल्य का 1.125% की दर से सम्मिलित किया है [कस्टम मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण)] नियम 2007 का नियम 10(2) का तृतीय उपबंध

(2) क्रय कमीशन को निर्धारणयोग्य मूल्य में सम्मिलित नहीं किया [कस्टम मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण)] नियम 2007 का नियम 10(1)(a)(i)]

18. मामला का तथ्य *Bussa Overseas & Properties P. Ltd. v C.L. Mahar, Asstt. C.C., Bombay 2004 (163) E.L.T. 304 (Bom.)* के मामला जैसा है। जहां पर बम्बई उच्च न्यायालय ने अवलोकित किया कि वस्तु को गृह उपभोग के लिए कलियर किया, वे कस्टम अधिनियम

© The Institute of Chartered Accountants of India

1962 की धारा 2(25) में परिभाषित के रूप में आयातित वस्तु नहीं रहती। वस्तु गृह उपभोग के लिए कलियरेंस प्रदान होने पर आयातित वस्तु की विशेषता को खो देती है तथा उसके पश्चात् जब्ती का अधिकार का केवल तब ही उपयोग किया जा सकता है जहां पर कलियरेंस का आदेश को पुर्नरक्षित किया तथा निरस्त किया।

इसलिए, दिये गये मामले में विभाग द्वारा वस्तु की जब्ती अवैध है।

बम्बई उच्च न्यायालय ने आगे अवलोकित किया कि कस्टम अधिनियम 1962 की धारा 112(a) प्रदान करता है कि कोई व्यक्ति जो किसी वस्तु के संबंध में कोई कार्यवाही करता है अथवा कार्यवाही नहीं करता है जिसकी कार्यवाही अथवा कार्यवाही ना करना इस प्रकार की वस्तु धारा 111 के अन्तर्गत जब्ती के लिए वस्तु को दायी करता है अथवा इस प्रकार की कार्यवाही को करने अथवा बचने से छूटना दंड के लिए दायी है।

उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दंड को लगाने के लिए अधिकार का ना केवल जब उपयोग नहीं किया जब वस्तु जब्ती के लिए उपलब्ध है परन्तु जब इस प्रकार की वस्तु जब्ती के लिए दायी है। अभिव्यक्ति 'जब्ती के लिए दायी' स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि दंड को लगाने का अधिकार का उपयोग किया जा सकता है चाहे यदि वस्तु जब्ती के लिए उपलब्ध नहीं है। केवल तथ्य कि आयातक वस्तु की इस प्रकार की कलियरेंस तथा निपटारा किया तथा उसके पश्चात् वस्तु जब्ती के लिए उपलब्ध नहीं है, को अधिनियम की धारा 112 के अन्तर्गत दंड को लगाने का अधिकारों को कस्टम प्राधिकरण को वंचित नहीं करता।

इसलिए, दिये गये मामला में विभाग द्वारा लगाया दंड कानून में सही है।

19. कस्टम अधिनियम 1962 की धारा 127B के अनुसार, मामला का निपटारा के लिए एक आवेदन को फाइल करने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना होता है:

(i) आवेदक ने एक प्रवेश का बिल अथवा शिपिंग बिल को अथवा निर्यात का का बिल को फाइल किया अथवा बैगेज घोषणा अथवा पोस्ट अथवा कोरियर के जरिये आयातित अथवा निर्यातित वस्तु के साथ लेबल अथवा घोषणा की है तथा इस प्रकार प्रपत्र के संबंध में, उपयुक्त अधिकारी द्वारा उसको कारण बताओ नोटिस को जारी किया।

(ii) स्वीकृत अतिरिक्त शुल्क ` 3 लाख से अधिक है।

(iii) आवेदक ने धारा 28AA के अन्तर्गत देय ब्याज सहित उसके द्वारा स्वीकृत सीमा शुल्क की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया।

(iv) मामला ट्रिब्यूनल अथवा किसी न्यायालय के साथ लम्बित नहीं है।

(v) आवेदन वस्तु से संबंधित नहीं है जिस पर धारा 123 लागू होता है अथवा मादक दवाई तथा नशीला द्रव्य अधिनियम 1985 के अन्तर्गत किसी अपराध को किया।

(vi) आवेदन कस्टम टैरिफ अधिनियम 1975 के अन्तर्गत वस्तु की वर्गीकरण की व्याख्या के लिए नहीं है।

आगे, निपटारा आयोग के सम्मुख आवेदन को तब ही किया जाता है जब न्याय निर्णयन लम्बित है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

20. निर्दिष्ट परिस्थिति के अन्तर्गत शुल्क की वापिसी के उद्देश्य के लिए कस्टम अधिनियम 1962 की धारा 26A(2) की स्पष्टीकरण के अन्तर्गत प्रदान प्रासंगिक तिथि निम्न है:-

	मामला	**प्रासंगिक तिथि**
(i)	भारत से बाहर निर्यातित वस्तु	तिथि जब निर्यात के लिए वस्तु का लदान तथा कलियरेंस की अनुमति देते हुए उपयुक्त अधिकारी एक आदेश करता है।
(ii)	वस्तु का स्वत्व का त्याग	इस त्याग की तिथि
(iii)	नष्ट होने वाली वस्तु अथवा वाणिज्यिक रूप से मूल्यहीन हो गयी	इस प्रकार का नष्ट होना अथवा वस्तु का वाणिज्यिक रूप से मूल्यहीन होने की तिथि

नोट: वस्तु तथा सेवा कर कानून इसके आरंभ से बार–बार बदलाव के तहत है। यद्यपि FAQ अथवा अन्यथा के जरिये कई स्पष्टीकरण को जारी किया, इसके प्रावधान में से कई भिन्न व्याख्या के कारण कई मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए लिये गये मत पर निर्भर उपरोक्त प्रश्न पर कई विकल्प उत्तर संभव हो सकते हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India